

February 20, 2018

The Officer-In-Charge (Listing) Listing Department National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051 Symbol: MINDACORP	Head - Listing Operations, BSE Limited, P.J. Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001 Scrip Code: 538962
---	--

Sub: Submission of Newspaper clipping of Postal Ballot Notice published in the newspapers

Dear Sir,

The Company has published notice of Postal Ballot in Hindi (Jansatta) and English (Financial Express) dated February 20, 2018 and clippings of the same are being submitted for your reference and records.

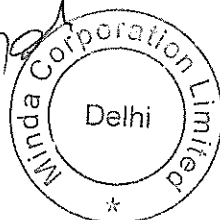
You are requested to kindly take the same on record for your further needful.

Thanking You,

Yours faithfully,

For Minda Corporation Limited

Ajay Sancheti
Ajay Sancheti
Company Secretary
Membership No.F5605



Enclosed: Clipping of Notice

MINDA CORPORATION LIMITED

CIN NO. : L74899DL1985PLC020401

Corporate Office : D-6-11, Sector-59, Noida - 201 301, U.P., India. Tel. : +91-120-4787100, Fax : +91-120-4787201

Registered Office : A-15, Ashok Vihar, Phase-I, Delhi - 110052. Website: www.minda.co.in

NOTICE

Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make a petition to the central Government, Regional Director, Northern Region, India, under Section 13 of the Companies Act, 2013, to change the name of the company from State of Delhi to the Memorandum of Association of the company in pursuance of the Special Resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting of the company held on 01/01/2018 to enable the company to change its Registered office from 'State of Delhi to the state of Jharkhand' in pursuance of the Registered office of the company, which is required to be approved by the central Government, Regional Director, Northern Region, Delhi is considered to be more convenient & economical to manage the operations.

Any person whose interest is likely to be affected by the change of name of the Registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filling investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post to the nature of his interest and grounds of objection to the Regional Director (Northern Region), B-2 Wing, Second Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi 110003 within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the petitioner company at its Registered office at the address mentioned below.

RTI BUILD CON Private Limited
B-2/2, Jeevan Niketan (LIC Colony), Paschim Vihar,
New Delhi-110087.

 **NDMC SMART CITY LTD.**
OFFICE OF ADDITIONAL GENERAL MANAGER PROJECT DIVISION, Palika Zonal
Service Centre, 3rd Floor, Fire Brigade Lane, Connaught Place, New Delhi-110001

CORRIGENDUM

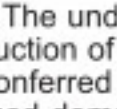
Tender ID :- 2018_NDMC_144834_1

Name of Work :- RFP FOR LICENSING OF EXCLUSIVE ADVERTISEMENT RIGHTS IN NDMC AREA FOR A PERIOD OF ONE YEAR

Corrigendum for above mentioned work has been issued. The last date of submission of bid document has been extended from 21.02.2018 to 07.03.2018. Further details can be seen at <https://govtprocurement.delhi.gov.in> or www.ndmc.gov.in

Addl. General Manager (Project)
E-mail: agm.project.scl@ndmc.gov.in
Tel. No. 9810145477

To be The Global Benchmark for a Capital City

 बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India		POSSESSION NOTICE (For Immovable property)			
Whereas The undersigned being the authorized Officer of Bank of India under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notices on the dates mentioned against accounts (details of which have been mentioned below) calling upon the following borrowers to repay the amounts mentioned in the notices within 60 days from the date of receipt of the said notices. The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on him/ her under Section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rules on dates as mentioned hereunder. The borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Bank of India for notice amounts and interest thereon. The borrowers attention is invited to provisions of subsection (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured asset.					
Sr. No.	Name of the Borrower and Branch Name	Description of the Immovable Property	Date of Demand Notice	Outstanding as per Demand Notice	Date of possession
1.	M/S Singh Commission Agent (Prop. Mr. Nitin Singh S/o Late Sh. Phoolkaran Singh) Branch: Sarai Jwalapur	All that part and parcel of the property measu -ring 2546 Sq. Ft. situated at Kharsa No. 46, Gram Jamalpur Kalan, Pargana Jwalapur, Tehsil and Distt. Haridwar owned by Mrs. Urmila Devi w/o Late Sh. Phool Karan Singh Bounded : on the North by Plot Vipin , Ankur, Mahipal and Smt. Bachan Kaur and others, On the South by 9 ft. wide nala, on the East by House of Mahendra and on the West by 15 ft. wide rasta.	07.11.2017	Rs. 4,68,809.24 Plus interest and other expenses w.e.f 01/10/2017	17.02.2018
2.	Mr. Sanjay Uniyal S/o Late Shripasad Uniyal Branch: Sarai Jwalapur	All that part and parcel of the residential property measuring 1500 Sq. Ft. situated at Kharsa No. 508/21 &511/2, Plot No: 15, Tehri Visthapit Colony, Village: Ranipur, Pargana: Jwalapur, Tehsil and Distt. Haridwar owned by Mr. Sanjay Uniyal S/o Shri Prasad Uniyal Bounded: on the North by Plot No. 16, On the South by: Plot No. 14, on the East by Plot No. 02 and on the West by 18 ft. 6"wide rasta.	01.11.2017	Rs. 22,96,442.27 Plus interest and other expenses w.e.f 01/10/2017	15.02.2018
Date: 19.02.2018		Authorised Officer, Bank of India			

BM-I DIVISION, CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT
NEW DELHI MUNICIPAL COUNCIL
 321, 3rd FLOOR, SHAHEED BHAGAT SINGH PLACE, GOLE MARKET,
 NEW DELHI- 110001

Tender I.D. : 2018_NDMC_145768_1
e-procurement Tender Notice

Name of work : Improvements to various Electric Sub Station in NDMC area.
Sub Head : Construction of rest room in Electric Sub Station.
Estimated Cost : ₹ 21,56,436/-
Date of release of tender through e-procurement solution : 19.02.2018.
Last date/time for receipt of tenders through e-procurement solution : 05.03.2018 at 4:00 PM.
 Further details can be seen at www.ndmc.gov.in or <https://govtprocurement.delhi.gov.in>
Note - To participate in e-tender in NDMC registration with NICCA is mandatory.
 The tender shall be received only through e-procurement procedure and conditions of e-procurement superceded all normal conditions of NIT of issue and receipt of tender documents.
Executive Engineer (BM-I)

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-II, CHANDIGARH
(MINISTRY OF FINANCE)
S. C. O. No. 33-34-35, 1st FLOOR, SECTOR 17-A, CHANDIGARH - 160017

SUMMONS in

IA No. 1385 of 2017 in OA No. 2992 of 2017

Edleweiss Assets Reconstruction Company Limited
VS
M/s Vardhman Life Sciences P Ltd. and Others

(SUMMONS UNDER SECTION 19 OF THE RDBB & FIAC ACT 1993 READ WITH RULES 12 & 13 OF THE DEBTS DUE TO BANKS ND FINANCIAL INSTITUTIONS ACT 1993 READ WITH RULES 12 & 13 OF THE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL (PROCEDURE) RULES, AS AMENDED FROM TIME TO TIME)

To,

- M/s. Vardhman Life Sciences P Ltd., a company incorporated under the Companies Act, 1956 having its Registered Office at 112, B-8, GDITL Tower, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi and a Corporate Office at SCO 350-352, 3rd Floor, Sector 34A, Chandigarh through its Principal Officer/ Managing Director/Director.
- Shri Suyog Jain son of Sh. Sudershan Kumar Jain, Director, Mortgagor, Guarantor, resident of House No. 2216, Sector 21C, Chandigarh.
- Sh. Vivek Gupta son of Sh. Sham Lal Gupta, Mortgagor, Guarantor resident of House No. 3414, Sector 27D Chandigarh.
- Sh. Rajinder Singh Gujral Son of Sh. Amrik Singh Gujral, Mortgagor, Guarantor, resident of House No. 62, Sector 20A, Chandigarh.
- M/s Vardhman Chemtech Ltd., Corporate Guarantor, a Company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 and having its Registered Office at SCO 350-352, 3rd Floor, Sector 34A, Chandigarh through its Principal officer/Managing Director/Director.

The above mentioned case has been filed before this Tribunal under Section 19 of Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 for recovery of debts of **Rs. 21, 75, 20, 202.11**

- Whereas it has been shown to the satisfaction of the Tribunal that it is not possible to serve in ordinary, therefore, this notice is given by the way of this publication in two leading newspapers directing you to be appear in person or through duly authorized agent or legal practitioner before the Tribunal on **26.03.2018 at 10.30 a.m.** You are required to show cause as to why the (reliefs) prayed for in OA should not be granted and file reply, if any, in your defense in person or through duly authorized agent or legal practitioner and produce all the documents and affidavits that you may consider necessary in the OA before this Tribunal, failing which the OA shall be heard and decided in your absence.
- You are also required to show cause why the interim relief(s) as prayed for should not be granted.

Given under my hand with seal of this Tribunal on **16th December, 2017.**



By Order of the Tribunal
Sd/-
Registrar

Minda Corporation Limited
 Registered Office: A-15, Ashok Vihar, Phase-1, Delhi - 110052
 CIN: L74899DL1985PLC020401 Website: www.minda.co.in,
 E-mail: investor@minda.co.in Tel. No. : +91 124-4698400, Fax: +91-124-4698450

	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India
1911 से आपका लिए "केबिनिंग" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911	
BRANCH OFFICE: DDA BUILDING, VIKAS MINAR, NEAR I.T.O., NEW DELHI	
POSSESSION NOTICE (For Immoveable Property)	
Appendix -IV [See Rule – 8(I)]	
Whereas the undersigned being the, Authorized Officer of the Central Bank of India, Vikas Minar, New Delhi Branch, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice on 09.02.2017, calling upon the Borrowers: MR. PARDEEP KUMAR S/O. OM PARKASH PROP. OF M/S. GUPTA ENTERPRISES, to repay the amount mentioned in the notice being Rs.20,46,383/- (Rupees Twenty Lakh Forty Six Thousand Three Hundred Eighty Three Only) plus future interest and charges within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described here in below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said act read with rule 8 of the said rules on date 17.02.2018. The borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to the charge of Central Bank of India, Vikas Minar, New Delhi Branch, for an amount of Rs.20,46,383/- (Rupees Twenty Lakh Forty Six Thousand Three Hundred Eighty Three Only) plus future interest and charges etc. thereon.	
<u>The borrower's attention is invited to provisions of sub section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.</u>	
DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTY	
All that part and parcel of the property situated at: WZ 6 (New WZ-6A/1) Out of Khasra No.89/13, situated in Village Hastsal Colony known as South Extension Part-I, Uttam Nagar, New Delhi-110018. Property in the name of MR. PARDEEP KUMAR.	
PLACE: NEW DELHI DATE: 17.02.2018	Authorised Officer, Central Bank of India

The shareholders of Minda Corporation Limited are hereby informed pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, (including any statutory modification, or re-enactment thereof for the time being in force) that the Company has on Monday, February 19, 2018 completed the dispatch of Notice along with Postal Ballot Form and self addressed business reply envelope to the shareholders, who have not registered their e-mail IDS with Depositories or with the Company and also sent e-mail, through National Securities Depositories Ltd. (NSDL) alongwith the details of login ID and password to the shareholders, who have registered their e-mail IDS with Depositories or with the Company in relation to obtain approval from Members by way of Postal Ballot including e-voting by electronic means, for the following matters:	
S. No.	Description of the Resolution(s)
1	Ordinary Resolution for increase in authorised share capital of the company by creation of additional 25,00,000 (Twenty Five Million) Equity Shares of ₹ 2/- each
2	Special Resolution for approval for raising of additional capital by way of one or more public or private offerings to eligible investors through an issuance of equity shares or other eligible securities for an amount not exceeding ₹ 500 Crore

The Postal Ballot Notice has been sent to all the Members of the Company, whose names appear on the Register of Members/List of Beneficial Owners, as received from National Securities Depository Limited (NSDL)/Central Depository Services (India) Limited (CDSL) on Friday, February 09, 2018. A person who is not a member as on the cut-off date should treat this notice for information purpose only.

Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, (including any statutory modification, or re-enactment thereof for the time being in force) the Company has also extended e-voting facility as an alternate for its Members to enable them to cast their votes electronically instead of dispatching Postal Ballot Form(s). The detailed procedure for e-voting is enumerated in the "instruction for e-voting Form" attached with the notice.

Shareholders can cast their vote online from Tuesday, February 20, 2018 (9:00 a.m) to Wednesday, March 21, 2018 (5:00 p.m). Any Postal Ballot received from the Members beyond the said date will not be valid and voting whether by post or by electronic means shall not be allowed beyond the said date.

The shareholders can opt for any mode of e-voting. In case, Shareholders cast their votes by both physical Postal Ballot and e-voting, then voting done through valid Physical Postal Ballot shall be treated as invalid and voting done by e-voting shall prevail.

Shareholders who do not receive the Postal Ballot Form may either send an e-mail to the Company at investor@minda.co.in or may apply to the Registrar and Share Transfer Agent of the Company and obtain a duplicate Postal Ballot Form. The Postal Ballot Notice and the Postal Ballot Form can also be downloaded from our website www.minda.co.in or www.evoting.nsdl.com.

The duly completed Postal Ballot Form(s) should reach the Scrutinizer on or before Wednesday, March 21, 2018, 5.00 p.m., to be eligible for being considered, failing which, it will be strictly treated as if no reply has been received from the Member(s). The e-voting module shall also be disabled by NSDL for voting thereafter.

The Company has appointed Mr. Sanjay Grover (Membership No. FCS 4223; C.P No. 3850), Managing Partner, M/s Sanjay Grover & Associates, Practicing Company Secretaries, as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot Process in a fair and transparent manner. The Scrutinizer will submit his Report after completion of the scrutiny, addressed to the Chairman on Friday, March 23, 2018. The Chairman will, or in his absence any other person so authorized by him will, announce the results of voting by postal ballot on Friday, March 23, 2018 at 06:00 p.m. at the Registered Office of the Company. The scrutinizer's decision on the validity of the Postal Ballot shall be final. The results of the Postal Ballot will be displayed on Company's website at www.minda.co.in and also on the website of the stock exchanges.

The Board of Directors has appointed Mr. Ajay Sancheti, Company Secretary as the person responsible for the entire Postal Ballot process. For any grievances/queries connected with the voting by postal ballot including voting by electronic means, shareholders may contact at e-mail - asancheti@minda.co.in or Tel No. 0124-4698400.

यूको बैंक  **UCO BANK**
(A Govt. of India Undertaking)

BRANCH OFFICE: MAYUR VIHAR PHASE-I, NEW DELHI
POSSESSION NOTICE (for Immoveable Property under Rule 8(1))
(Under Section 13 (4) of Securitization Act, 2002 read with rule 8 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002 for moveable & immoveable property).

Whereas the undersigned being the Authorized Officer of the **UCO BANK, Mayur Vihar Phase-I, New Delhi Branch**, under the Securitization & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (herein after referred as "Said Act") and in exercise of the power conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, (hereinafter referred as "said rules"), issued a Demand Notice under Sec.-13(2) of the said Act dated **24.10.2017** calling upon the **Borrowers / Guarantors:-**

(1) Ms. Satish Kumar Srivastava, House No.II-A/90, First Floor, HIG Type, Vaishali, Ghaziabad-201010.

(2) Mrs. Anuradha Srivastava, House No.II-A/90, First Floor, HIG Type, Vaishali, Ghaziabad-201010, to repay the amount mentioned in the notice being **Rs.29,35,498.20 (Rupees Twenty Nine Lakhs Thirty Five Thousand Four Hundred Ninety Eight and Paise Twenty Only)** due and outstanding along with further interest, cost, expenses & other charges thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower/ guarantor/ mortgagor have failed to discharge his/their liability, to repay the amount within the period specified in the aforesaid notice and therefore this notice is hereby given to the borrowers/guarantors/ Mortgagors and the public in general that the undersigned has **taken possession** of the property described herein below in exercise of power conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rules on this **15.02.2018**. The borrowers/guarantor/ mortgagors in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property mentioned here under and any dealing with the said property will be subject to the charge of the **UCO Bank, Mayur Vihar, New Delhi Branch**, for loan amount of **Rs.29,35,498.20 (Rupees Twenty Nine Lakhs Thirty Five Thousand Four Hundred Ninety Eight and Paise Twenty Only)** due and outstanding along with further interest, costs, expenses & other charges thereon.

There borrower's attention is invited to provisions of sub(8) of section(13) of the Act, in respect of the time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE / MOVABLE PROPERTY
Property Bearing No.II-A/90, 2nd Floor, HIG Type, Vaishali, Ghaziabad-201010.

PLACE: NEW DELHI
DATE: 15.02.2018

Authorized Officer,
UCO BANK

खबर कोना



जर्मनी के बर्लिन में सोमवार से शुरू हुए अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्म ‘मॉस्टर हंट 2’ के चरित्र डुबा जैसे कपड़े पहने हुए व्यक्ति के साथ अभिमेत्री बाही बाई।

बाफ्टा में ‘विक्टोरिया एंड अब्दुल’ को पुरस्कार नहीं

लंदन, 19 फरवरी (भाषा)।

भारतीय अभिनेता अली फजल और ब्रिटिश कलाकार जुडी डेंच की मुख्य भूमिका वाली ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म ‘विक्टोरिया एंड अब्दुल’ बाफ्टा में मेक अप एंड हेयर श्रेणी के पुरस्कार की दौड़ में ‘डार्केस्ट आउर’ से पिछड़ गई।

स्टीफन फ्रीअर्स निर्देशित इस फिल्म में फजल नौकर अब्दुल का किरदार निभा रहा है, जो जुडी डेंच की ओर से निभाए गए वहीन विक्टोरिया के चरित्र के लिए काम करता है। 71वें ब्रिटिश फिल्म फेस्टिवल अवाडर्स में फिल्म को इस श्रेणी में नामित किया गया था। यह फिल्म शरबीन बसु की किताब पर आधारित है। इसमें दो मुख्य किरदारों के बीच संबंधों को प्रदर्शित किया गया है।

ओरंगुटान को मारने वाले गिरफ्तार

जकार्ता, 19 फरवरी (एएफपी)।

विलुप्त प्रजाति के प्राणी ओरंगुटान को एओ राइफल से 130 गोलियां मारने वाले मामले में इंडोनेशिया के चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
बर्नियाय प्रायद्वीप के संदिग्ध किसानों ने जानवर की हत्या करने की बात स्वीकार करते हुए कहा कि इसने अनानास और पाम ऑयल की उनकी खेती को नष्ट कर दिया था। ईस्ट कुटई जिले के पुलिस प्रमुख टेडी रिशिवान ने एएफपी को बताया, ‘उनका इरादा जानवर को भगाने का था लेकिन इसके बजाए ओरंगुटान मारा गया।’ संदिग्धों पर संरक्षित प्राणी को मारने का मामला चलेगा। उन्हें पांच साल तक की कैद की सजा हो सकती है। उन पर अधिकतम 7400 डॉलर का जुर्माना भी किया जा सकता है।

कूड़े का ढेर गिरने से 17 लोगों की मौत

जोहानिसबर्ग, 19 फरवरी (एपी)।

मोजाबिक की राजधानी में बारिश के कारण सोमवार को कूड़े के ढेर का एक हिस्सा ढह जाने से 17 लोगों की मौत हो गई। पुर्तगाली समाचार एजेंसी लुसा के मुताबिक, अधिकारियों का मानना है कि मापुतो के बाहरी इलाके हुलेने में कूड़े का ढेर गिर जाने की घटना में और शव दबे होने की आशंका है। तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कचरा गिरने की घटना जहां हुई है, वह गरीब, घनी आबादी वाला इलाका है। कचरे का ढेर तीन मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर का है। खबर के मुताबिक 12 लोग मारे गए हैं। रेडियो मुकाबिका ने मरने वालों की संख्या 17 बताई है। आधा दर्जन घर नष्ट हो गए हैं। इलाके के कुछ निवासी एक बार फिर कचरे का ढेर गिरने की आशंका के कारण इलाका छोड़ कर चले गए हैं।

अफगानिस्तान में अगवा लोगों के शव मिले

काबुल, 19 फरवरी (एपी)।

एक अफगान अधिकारी ने बताया है कि पिछले साल देश के नंगरहार प्रांत से अगवा किए गए नौ असेनिकों के शव बरामद हुए हैं। शव एक सामूहिक कब्र में पाए गए। कोट जिले के सैयद रहमान मोहमद ने बताया कि स्थानीय लोगों ने बगल के अचिन जिले से ये शव बरामद किए। उग्रवादियों ने पिछले साल के आरंभ में कोट से इन नौ लोगों का अपहरण किया था। मोहमद ने बताया कि इनके अपहरण और हत्या के पीछे इस्लामिक स्टेट का समूह है।

ईरान में लापता विमान की खोज शुरू पाक : सेना ने तालिबान के दो आतंकी मार गिराए

खराब मौसम की वजह से उड़ान नहीं भर पा रहे थे हेलिकॉप्टर, खोज में शामिल हैं जमीनी और हवाई टीमें

तेहरान, 19 फरवरी (एएफपी)।

ईरान ने जगरोस पर्वतीय क्षेत्र में रविवार को लापता हुए एक यात्री विमान को सोमवार को खोज शुरू कर दी। इसमें 66 लोग सवार थे। सरकारी टेलीविजन ने कहा कि रविवार को खराब मौसम की वजह से खोज अभियान में बाधा आई। लेकिन बाद में मौसम परिस्थितियों में सुधार हुआ। हेलिकॉप्टर अब आसमान एअरलाइंस को उड़ान संख्या ईपी3704 वाले विमान की खोज के अभियान में शामिल होने को तैयार हैं।

रविवार रात भारी बर्फबारी और बारिश की वजह से अधिकारियों ने खोज अभियान रोक दिया था। दोहरे इंजन वाला एटीआर-72 विमान 25 साल से सेवा में था। रविवार को यह स्थानीय समयानुसार सुबह आठ बजे राजधानी के मेहराबाद से यासुज शहर के लिए रवाना हुआ था। ऐसा माना जाता है कि यह ईरान के दक्षिण-पश्चिमी जगरोस क्षेत्र में डेना पर्वत पर हादसे का शिकार हो गया। लेकिन एक अधिकारी ने कहा कि विमान की खोज का दायरा विशाल और दूरस्थ क्षेत्र में फैलीं 100

मालदीव के 12 बागी सांसद फिर निलंबित

माले, 19 फरवरी (एएफपी)।

मालदीव के सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम संसदीय मतविभाजन से पहले विरोधी समर्थक 12 सांसदों को निलंबित कर दिया। इससे राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को मजबूती मिली। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला रविवार देर रात आया। इसमें उसने सत्तारूढ़ पार्टी से हटने वाले सांसदों की सदस्यता बहाल करने का अपना मूल फैसला पलट दिया। यह फैसला ऐसे समय आया जब संसद देश में आपातकाल लगाने की यामीन की घोषणा का अनुमोदन करेगी।



दक्षिण ईरान की पहाड़ियों में तापता विमान का मलबा तलाशते राहत और बचाव कर्मचारी।

पर्वत चोटियों तक विस्तारित हो सकता है। नागरिक उड्डयन संगठन के मुतजा दहगान ने सरकार टेलीविजन से कहा, ‘चिह्नित खोज क्षेत्र में दृश्यता बहुत अच्छी नहीं है और वहां विश्लेष की स्थिति है, इसलिए इन सुरक्षा चिंताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए।’ सरकारी टेलीविजन ने कहा, ‘इन सभी स्थितियों के बावजूद जमीनी और हवाई दोनों टीम सक्रिय हैं। अनुमति मिलते ही ड्रोन विमानों का इस्तेमाल भी किया जाएगा।’ इसने कहा कि सोमवार को करीब 100 पर्वतारोही राहतकर्मियों को तैनात किया गया। फ्रांस की हवाई सुरक्षा एजेंसी बीईए ने कहा कि वह ब्रिटेन की ‘एअर एक्सीडेंट्स इंवेस्टीगेशन ब्रांच’ के नेटवर्क वाली जांच में शामिल होगी। बीईए के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘तीन जांचकर्ता और हमारे तकनीकी सलाहकार घटनास्थल पर जाएंगे।’

सिख चालक से यात्री ने पूछे नस्लवादी सवाल खुद को पगड़ी पहनने वालों से नफरत करने वाला बताया, आरोपी की गिरफ्तारी न होने से सिख नाराज

न्यूयार्क, 19 फरवरी (भाषा)।

अमेरिका में एक यात्री ने उबर कैब चलाने वाले एक सिख चालक को बंदूक दिखाकर उससे नस्लवादी सवाल पूछे। मीडिया की खबरों के मुताबिक यात्री ने कहा कि वह पगड़ी धारकों से नफरत करता है। उसने सिख चालक से उसकी राष्ट्रीयता और अमेरिका के प्रति उसकी वफादारी को लेकर भी सवाल पूछे।

‘वाशिंगटन पोस्ट’ की रिपोर्ट के मुताबिक

इलिनियोस में शेरिफ का कार्यालय गुरजीत सिंह पर हुए हमले की जांच कर रहा है। गुरजीत ने 29 जनवरी को इस मामले की जानकारी पुलिस को दी थी।

सिखों की हिमायती संस्था ‘सिख कोअलियन’ ने कहा कि यात्री ने चालक को बंदूक दिखाई और कहा कि वह पगड़ी पहनने और दाढ़ी रखने वाले लोगों से नफरत करता है। बुधवार को रॉक आईलैंड काउंटी के शेरिफ गैरी बुरटोस से मुलाकात करने के बाद संस्था के नेताओं ने हमले के बाद से अबतक

इमरान ने आध्यात्मिक गुरु से की शादी

लाहौर, 19 फरवरी (भाषा)।



प्रवक्ता ने कहा, ‘निकाह दो दिलों और दो आत्माओं का मेल है, जो निकाह के पाक दिन पर मिल रहे हैं। मैं इमरान खान को खुश और उम्मा वैवाहिक जीवन की दुआ देता हूं।’ उन्होंने कहा, ‘कुछ दिनों में बेहद सारे तरीके से वलीमा भी होगा।’ ‘पिंकी पीर’ के नाम से मशहूर बुशरा 47-48 साल की हैं। बुशरा की पहली शादी से उनके पांच बच्चे हैं।

निकोलस क्रूज को पालने वाले दंपति ने उसे हंसमुख बताया

मां की मौत के बाद इस दंपति के साथ था

वाशिंगटन, 19 फरवरी (एएफपी)।

फ्लोरिडा के स्कूल में गोलीबारी करने वाले निकोलस क्रूज को पालने वाली दंपति ने उसे उसकी मां की मृत्यु के बाद अपने घर में रखा। इस दंपति ने उसे विचित्र और हंसमुख बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का तनिक भी आभास नहीं था कि उनके यहां एक राक्षस रह रहा है। ‘साउथ फ्लोरिडा सन सेंटीनेल’ में रविवार को प्रकाशित साक्षात्कार में पार्लैलैंड, फ्लोरिडा निवासी जेम्स और किब्वलें स्ीड ने कहा कि 19 साल का क्रूज उनके यहां नवंबर के उत्तरार्द्ध में रहने आया। वह अजीन दत्तक मां की उस महीने की शुरुआत में निमोनिया से मौत होने के बाद उनके यहां आया था। वह उनके बेटे का दोस्त था। दंपति ने बताया कि उसकी खानपान और सोने की आदत अजीब थी। उसे घर का कोई काम करने की आदत नहीं थी। वह इसके बावजूद अपने दुख से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसने खुद को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में व्यस्त रखा और एक दुकान पर काम करता था। 48 साल के जेम्स स्ीड ने अखबार को बताया, ‘हमने उसे नियमों के बारे में बताया। उसने सभी नियमों का पालन किया।’ जेम्स एक पूर्व सैन्यकर्मी और सैन्य खुफिया विश्लेषक है। नर्स का काम करने वाली जेम्स की पत्नी किब्वलें स्ीड ने कहा, ‘हमारे घर में यह राक्षस रह रहा था और हमें पता नहीं चला।’ उन्होंने कहा, ‘हमने उसका यह पक्ष नहीं देखा।’

क्रूज ने गत बुधवार को एआर-15 राइफल का इस्तेमाल कर अपने पूर्व हाई स्कूल में 17 लोगों की हत्या कर दी थी।

ट्रंप पर साधा निशाना

पार्कलैंड, 19 फरवरी (एपी)।

फ्लोरिडा स्कूल में भीषण गोलीबारी में जिंदा बचे छात्रों ने उम्मीद जताई है कि वे देश में बंदूक नियंत्रण आंदोलन का चेहरा बनेंगे। वे राष्ट्रपति डॉनाल्ड ट्रंप के साथ संभावित टकराव को राह पर हैं। कई छात्रों ने राष्ट्रपति ट्रंप की ओलांचना की है जिनके चुनाव का नेशनल राइफल एसोसिएशन ने मजबूती से समर्थन किया था और जिन्होंने बंदूक नियंत्रण का विरोध करते हुए एक मंच संचालित किया था। ट्रंप ने अपना सप्ताहांत दक्षिण फ्लोरिडा में बिताया जो कि स्टोनमैन डगलस हाईस्कूल से कुछ ही घंटे की दूरी पर है, जहां गत हफ्ते 17 लोगों को गोली मार दी गई थी।

पेशावर, 19 फरवरी (भाषा)।

पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने सोमवार को अफगानिस्तान स्थित तहरीक-ए-तालिबान के दो आत्मघाती हमलावरों को मार गिराया। ये आतंकवादी अफगानिस्तान की सीमा से लगे देश के अशांत बाजौर एजेंसी में हमला करने की योजना बना रहे थे। आतंकवादियों से भारी मात्रा में विस्फोटक और गोला-बारूद बरामद किया गया है। सेना के मुताबिक इस कार्रवाई के बाद खैबर पख्तुनख्वा, केंद्र प्रशासित कबिलायी क्षेत्र और इस्लामाबाद में एक बड़े आतंकी हमले की योजना विफल हो गई।

सेना ने बताया कि इन आतंकवादियों ने कचा पास के रास्ते बाजौर एजेंसी में प्रवेश किया। इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन (आइएसपीआर) की ओर से जारी एक बयान में बताया गया है कि सुरक्षा बलों ने उनका पता लगा लिया और घाटकी काना इलाके के निकट उन्हें घेर लिया। आतंकवादियों को उस समय मार गिराया गया जब वे बच कर निकलने का प्रयास कर रहे थे।

नेपाली संसद की पहली बैठक पांच मार्च से

● बड़ी मात्रा में विस्फोटक और गोला-बारूद बरामद

● सेना ने कहा, कई शहरों में हमलों की साजिश नाकाम

एक आतंकवादी ने सेना पर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में वह मारा गया। एक अन्य आतंकवादी ने खुद को उड़ा लिया। बयान में बताया गया है कि इन आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक और गोला-बारूद बरामद किया गया है।

आइएसपीआर के बयान में बताया गया है सुरक्षा बलों ने खैबर पख्तुनख्वा, केंद्र प्रशासित कबिलायी क्षेत्र और इस्लामाबाद में एक बड़े आतंकी हमले के प्रयास को विफल कर दिया। आतंकवादियों का शव खार में स्थित मुख्यालय अस्पताल ले जाया गया है। इलाके के सभी प्रवेश और निकास मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

नेपाली संसद की पहली बैठक पांच मार्च से

काठमांडो, 19 फरवरी (भाषा)।

नेपाल की पहली संघीय संसदीय बैठक अगले महीने की शुरुआत में आयोजित होगी। 2015 में अपनाए गए संविधान को लागू करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के कार्यालय ने एक बयान में कहा कि प्रतिनिधि सभा और नेशनल असेंबली वाली संघीय संसद का पहला सत्र नया बनेश्वर के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में पांच मार्च को आयोजित होगा। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति भंडारी ने संविधान के अनुच्छेद 93 (1) के मुताबिक पांच मार्च को बैठक बुलाई है।

 बैंक ऑफ इंडिया Bank of India		कब्जा सम्बन्धी सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)			
सिक्वोरिटीजाउजेशन एवं रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेशियल असेट्स इनकोर्पोरेट ऑफ सिक्वोरिटी इन्स्ट्रुमेंट एक्ट 2002 तथा सिक्वोरिटी इन्स्ट्रुमेंट (एनफोर्सेमेंट) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक ऑफ इंडिया ने सम्बन्धित ऋणियों के नाम के सामने दर्शाये गए खातों में उनके नामों के सामने दी गई तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया था। ऋणियों द्वारा राशि अदा करने में असफल होने पर ऋणी और जनसामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गयी सम्पत्ति का कब्जा नीचे लिखी तिथि को ले लिया गया है। ऋणियों को विशेष रूप से एवं जनसामान्य को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन-देन न करें। इस सम्पत्ति से किसी प्रकार का लेन-देन बैंक ऑफ इंडिया को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज के चार्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है। उधारकर्ता(ओं) का ध्यान सुरुचित परिस्थितियों के एवज में उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 (6) के प्रावधानों के लिए आकर्षित किया जाता है।					
क्र.सं.	ऋणी/ शाखा का नाम	बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तिथि	मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि	कब्जा नोटिस की तिथि
1.	मैसर्स सिंह कमिशन एजेंट (प्रो. श्री नितिन सिंह पुत्र स्व0 श्री फूल करन सिंह) शाखा: सराय ज्वालापुर	बंधक सम्पत्ति के सभी भाग व खंड सम्पत्ति माप 2545 वर्ग फिट, खसरा नं0 46, ग्राम जमालपुर कलां, परगना ज्वालापुर, तहसील एवं जिला, हरिद्वार में स्थित, सम्पत्ति स्वामित्व श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी स्व0 श्री फूल करन सिंह। सीमांक:-उत्तर: विपिन, अंकुर, मणिपाल एवं श्रीमती बचन कौर एवं अन्य का प्लाट, दक्षिण: 9 फिट चौड़ा नाला, पूर्व: मेहन्द्र का मकान, पश्चिम: 15 फिट चौड़ा रास्ता	07.11.2017	रु0 4,68,809.24 + ब्याज व अन्य खर्चे दिनांक 01.10.2017 से	17.02.2018
2.	श्री संजय उनियाल पुत्र स्व0 श्री प्रसाद उनियाल शाखा: सराय ज्वालापुर	बंधक सम्पत्ति के सभी भाग व खंड सम्पत्ति माप 1500 वर्ग फिट, खसरा नं0 508/21 व 511/2, प्लाट नं0 15, टिहरी विस्थापित कोलोनो, ग्राम रानी पुर, परगना, ज्वालापुर, तहसील एवं जिला हरिद्वार में स्थित, सम्पत्ति स्वामित्व श्री संजय उनियाल पुत्र श्री प्रसाद उनियाल। सीमांक:-उत्तर: प्लाट नं0 16, दक्षिण: प्लाट नं0 14, पूर्व: प्लाट नं0 02, पश्चिम: 18 फिट चौड़ा रास्ता	01.11.2017	रु0 22,96,442.27 + ब्याज व अन्य खर्चे दिनांक 01.10.2017 से	15.02.2018
दिनांक –19.02.2018					
प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया					

 SPARK MINDA SPARK MINDA GROUP <i>Powered by Progress</i>
मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: ए-15, अशोक विहार फेस-1, दिल्ली-110052
सीआईएन: L74899DL1985PLC020401, वेबसाइट: www.minda.co.in ई-मेल: investor@minda.co.in
फोन: +91 124-4698400 फैक्स: +91-124-4698450

 पोस्टल बैलेंट सूचना
कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 एवं नियम 22 (इस समय लागू उसके किसी भी सांविधिक संशोधन अथवा पुनरीक्षण सहित) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 के अनुपालन में मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शेयरधारकों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने निम्न विषयों के लिये इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान सहित पोस्टल बैलेंट द्वारा सदस्यों से उनकी स्वीकृति प्राप्त करने के संदर्भ में ऐसे शेयरधारकों जिन्होंने डिपॉजिटरीज अथवा कम्पनी के पास अपने ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं करायें हैं, को पोस्टल बैलेंट प्रपत्र तथा स्व-पता लिखित वयवसायिक जवाबी लिफाफे सूचना का प्रेषण सोमवार, 19 फरवरी, 2018 को पूरा कर लिया है तथा साथ ही उन शेयरधारकों जिन्होंने डिपॉजिटरी अथवा कम्पनी के पास अपने ईमेलआईडी पंजीकृत करायें हैं, को लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड के विवरणों के साथ नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लि. (एनएसडीएल) के माध्यम से ई-मेल भेज दिया है।

क्रम सं.	प्रस्ताव का विवरण
1	रु. 2/- के अतिरिक्त 25,000,000 (पच्चीस मिलियन) इक्विटी शेयरों के निर्माण द्वारा कम्पनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि के लिये साधारण प्रस्ताव
2	अधिकतम रु. 500 करोड़ की राशि के लिये इक्विटी शेयरों अथवा अन्य योग्य प्रतिभूतियों को जारी कर योग्य निवेशकों को एक या उससे अधिक सार्वजनिक अथवा प्राइवेट ऑफरिंग्स द्वारा अतिरिक्त पूंजी को उगाही की स्वीकृति के लिये विशेष प्रस्ताव
यह पोस्टल बैलेंट सूचना कम्पनी के ऐसे सभी सदस्यों को भेजी गई है जिनमें नाम शुक्रवार, 9 फरवरी, 2018 को नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)/सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएस) से प्राप्त सदस्यों के रजिस्टर/लाभभोगी स्तामियों की सूचीनी में शामिल हैं। जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं हैं, वे इस सूचना के जानकारी के लिए रहे।	
सेबी (सूचियन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्ष) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 तथा कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली 2014 (इस समय लागू उसके किसी भी सांविधिक संशोधन अथवा पुनरीक्षण सहित) के नियम 20 के अनुपालन में कम्पनी ने पोस्टल बैलेंट प्रपत्र (जों) को प्रेषित करने की जगह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना मतदान करने के लिये उन्हें सक्षम बनाने के लिये अपने सदस्यों को एक विकल्प के रूप में ई-वॉटिंग प्रक्रिया का विस्तृत विवरण के साथ संलग्न ‘‘ई-वॉटिंग फॉर्म के लिये निर्देश’’ में दिया गया है।	
शेयरधारक मंगलवार, 20 फरवरी, 2018 (9.00 बजे) पूर्वा. से बुधवार, 21 मार्च, 2018 (5.00 बजे) सायं तक ऑन लाइन अपना मतदान कर सकते हैं। उक्त तिथि के बाद सदस्यों से प्राप्त कोई भी पोस्टल बैलेंट वैध नहीं होगा तथा उक्त तिथि के बाद पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक किसी भी माध्यम से मतदान की अनुमति नहीं दी जायेगी।	
शेयरधारक ई-वॉटिंग को किसी भी पद्धति का चयन कर सकते हैं। यदि कोई शेयरधारक भौतिक बैलेंट तथा ई-वॉटिंग दोनों पद्धति से मतदान करते हैं तो भौतिक पोस्टल बैलेंट द्वारा किया गया मतदान अवैध होगा तथा ई-वॉटिंग द्वारा किया गया मतदान लागू रहेगा।	
जिन शेयरधारकों को पोस्टल बैलेंट प्रपत्र नहीं हो वे investor@minda.co.in पर ई-मेल भेजें अथवा कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट के पास आवेदन कर डुबलिकेट पोस्टल बैलेंट प्रपत्र प्राप्त करें। पोस्टल बैलेंट सूचना तथा पोस्टल बैलेंट प्रपत्र हमारी वेबसाइट www.minda.co.in या www.evoting.nsdl.com से डाउनलोड की जा सकती है।	
विधिवत पूर्ण पोस्टल बैलेंट प्रपत्र पर्यवेक्षक के पास बुधवार, 21 मार्च, 2018 के 5.00 बजे सायं या उससे पूर्व पहुंच जाना चाहिये जिस विचार करने के लिए योग्य माना जायेगा, अन्यथा उसके संदर्भ में यह माना जायेगा कि सदस्य से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है उसके बाद मतदान के लिये एनएसडीएल द्वारा ई-वॉटिंग पद्धति निष्क्रिय कर दी जायेगी।	
स्वच्छ तथा पारदर्शी तरीके से पोस्टल बैलेंट प्रक्रिया का संचालन करने के लिये कम्पनी ने श्री संजय ग्रोवर (सदस्यता से. एफसीएस 4223, सी.पी.नं. 3850), प्रबंध पार्टनर, मै. संजय ग्रोवर एंड एसोसिएट्स, कार्यरत कम्पनी सचिव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।	
अनुपस्थिति में उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में शुक्रवार, 23 मार्च, 2018 को 6.00 बजे सायं में पोस्टल द्वारा मतदान के परिणामों की घोषणा की जायेगी। पोस्टल बैलेंट की वैधता पर पर्यवेक्षक का निर्णय अंतिम होगा। पोस्टल बैलेंट का परिणाम कम्पनी की वेबसाइट www.minda.co.in पर और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।	
निर्देशक मंडल ने श्री अजय संचेती, कम्पनी सचिव को सम्पूर्ण पोस्टल बैलेंट प्रक्रिया के लिये उत्तरदायी व्यक्ति के रूप मे नियुक्त किया है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान सहित पोस्टल बैलेंट द्वारा मतदान से संबंधित किसी भी समस्या/प्रश्नों के लिये शेयरधारक ई-मेल asanchetti@minda.co.in या टेली. नं. 0124-4698400 पर सम्पर्क कर सकते हैं	

 बोर्ड के आवेदानुसार कृते मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड हस्ता./- अभिषेक डांडाधिया निर्देशाक
स्थान: दिल्ली
तिथि: 20.02.2018

 बोर्ड के आवेदानुसार कृते मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड हस्ता./- अजय संचेती कम्पनी सचिव
स्थान: दिल्ली
तिथि: 20.02.2018